

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 17/2025

किस्म :- पार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 09.11.2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

-:अनवान:-

1. श्री देवीलाल पुत्र बद्रीलाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बेहडा का खेडा (मालीखेडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
 2. श्री प्रकाश पुत्र बद्रीलाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बेहडा का खेडा (मालीखेडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
 3. भगवानी पत्नि स्व बद्रीलाल जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बेहडा का खेडा (मालीखेडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
-प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत राजपुरा जरिये संरपच महोदय राजपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द ।
3. जवाहरमल पिता मगना जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बेहडा का खेडा (मालीखेडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द फोट के बजाय:-
3/1 गीता पुत्री जवाहरमल पत्नि जगदीश जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बेहडा का खेडा (मालीखेडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द हाल निवासी सेजगरीया तहसील भोपालसागर जिला चित्तौडगढ
3/2 रामचन्द्र पिता जवाहरमल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बेहडा का खेडा (मालीखेडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द फोट के बजाय:-
3/2/1 सुशीला पत्नि रामचन्द्र जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बेहडा का खेडा (मालीखेडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3/2/2 राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा (मालीखेडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3/2/3 कृष्णा पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी बेहडा का खेडा (मालीखेडा) तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

.....विपक्षीगण

वास्ते,

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 190 रकबा 0.0809 हे. भूमि ग्राम मालीखेडा पटवार हल्का राजपुरा तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सुपुर्द नहीं किया जावें । फिस पत्थरगढी 1000/- रूपये अक्षरे. एक हजार रूपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावें। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



5/

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद